सबका साथ-सबका विकास

पहले आओ-पहले सोलर पंप पाओ

(वर्ष 2024-25 में)

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान
(पी.एम. कुसुम) योजनान्तर्गत कृषकों को अनुदान पर

54,000 सोलर पंप पाने का

स्वर्णिम अवसर

(आवेदन प्रारंभ मध्याह्न 12:00 बजे से लक्ष्य की समाप्ति तक)

दिनांक : 27.02.2024 से (चित्रकूट धाम, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली एवं कानपुर मंडलों के समस्त जनपद)

दिनांक : 28.02.2024 से (सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, लखनऊ, मिर्जापुर एवं बस्ती मंडलों के समस्त जनपद)

दिनांक : 29.02.2024 से (आगरा, झाँसी, अलीगढ़, गोरखपुर, आजगमढ़ एवं देवीपाटन मंडलों के समस्त जनपद)

(धनराशि रु. में)

क्रम. सं.	सोलर पंप का प्रकार	सोलर पंप का निर्धारित मूल्य	अनुदान प्रति पंप			कृषक अंश	
			राज्य सरकार द्वारा अनुदान	केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान	कुल अनुदान	टोकन मनी	अवशेष कृषक अंश
1.	2 एच.पी. डी.सी. सरफेस पंप	1,71,716	59,291	43,739	1,03,030	5,000	63,686
2.	2 एच.पी. ए.सी. सरफेस पंप	1,71,716	59,291	43,739	1,03,030	5,000	63,686
3.	2 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल पंप	1,74,541	60,986	43,739	1,04,725	5,000	64,816
4.	2 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पंप	1,74,073	60,705	43,739	1,04,444	5,000	64,629
5.	3 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल पंप	2,32,721	82,476	57,157	1,39,633	5,000	88,088
6.	3 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पंप	2,30,445	81,110	57,157	1,38,267	5,000	87,178
7.	5 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पंप	3,27,498	1,08,449	88,050	1,96,499	5,000	1,25,999
8.	7.5 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पंप	4,44,094	1,47,114	1,19,342	2,66,456	5,000	1,72,638
9.	10 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पंप	5,57,620	1,47,114	1,19,342	2,66,456	5,000	2,86,164

पात्रता एवं शर्तें

- योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर "अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुंकिंग करें" लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी।
- कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक "पहले आओ-पहले पाओ" के सिद्धान्त पर की जायेगी। कृषकों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ ₹5,000/- टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा।
- 2 एच.पी. हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एच.पी. हेतु 6 इंच तथा 7.5 एच.पी. एवं 10 एच.पी. हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जाएगा।
- 22 फीट तक 2 एच.पी. सर्फेस, 50 फीट तक 2 एच.पी. सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एच.पी. सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 एच.पी. सबमर्सिबल, 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एच.पी. तथा 10 एच.पी. सबमर्सिबल सोलर पंप उपयुक्त होते हैं।
- पोर्टल पर जनपदवार 2 एच.पी. एवं 3 एच.पी. का लक्ष्य सम्मिलित रूप से प्रदर्शित होगा, कृषक अपनी आवश्यकतानुसार सोलर पंप का चयन कर आगे बढ़ सकते हैं।
- टोकन कन्फर्म करने के 14 दिवस के अंदर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करना होगा अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किये जा रहे डीजल पंप अथवा अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त उन कृषकों, जिनके ट्यूबवेल पर सोलर पंप स्थापित किये जायेंगे, उन लाभार्थियों के ट्यूबवेल पर पूर्व से स्थापित विद्युत कनेक्शन काट दिये जायेंगे तथा जिन कृषकों के ट्यूबवेल पर सोलर पंप की सुविधा दी जायेगी ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी उस बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जायेगा।
- दोहित एवं अति दोहित क्षेत्रों में नए सोलर पंपों की स्थापना नहीं की जायेगी, किन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का प्रयोग कर रहा है तो पूर्व से स्थापित डीजल पंपसेट को सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकता है, किंतु यदि कृषक सूक्ष्म सिचाई तकनीक का प्रयोग नहीं कर रहा है तो उसे सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का लाभ प्राप्त करने हेतु उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबंध सत्यापन के समय उपलब्ध कराने के पश्चात ही सोलर पंप का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा टोकन मनी की धनराशि ₹5,000 जब्त कर ली जाएगी।
- कृषक द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि (AIF) से नियमानुसार ब्याज में छूट अनुमन्य है।
- कृषक सोलर पंप स्थापित होने के पश्चात स्थल परिवर्तन नहीं करेंगे, यदि स्थल परिवर्तन किया जाता है तो संपूर्ण अनुदान की धनराशि कृषक से वसूल कर ली जायेगी।
- बुकिंग की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी एवं यदि किसी जनपद में किसी पंप विशेष की मांग/बुकिंग कम होती है तो वह लक्ष्य अधिक मांग वाले जनपदों में स्थानांतरित कर दिये जाएंगे।

सूर्य प्रताप शाही
मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, उत्तर प्रदेश

बलदेव सिंह औलख
राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, उत्तर प्रदेश

अधिक जानकारी के लिए जनपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क करें।

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश